उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान

उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में

पवन कुमार*
पी. के. जोशी**

उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र एवं समाज के लिए आमूल्य धरोहर होती है। वैश्वीकरण के युग में कोई राज्य अथवा समाज अपनी विशेष पहचान बनाना चाहता है, तो उसे अपने राज्य के मानवीय संसाधन, खासकर युवा वर्ग का सर्वोत्तम विकास करना होगा, जिसके लिए उच्च शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। यह तभी संभव हो सकता है जब उच्च शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, प्रसार, नियंत्रण, सुशासन एवं पारदर्शी मूल्यांकन की जबावदेही एवं ज़िम्मेदारी सुनिश्चित हो, किंतु वर्तमान समय में राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में उपरोक्त उपायों की उम्मीद रखना बेमानी साबित हो रहा है, जिसके कारण उच्च शिक्षा व्यवस्था अपनी शैशवावस्था में ही दम तोड़ रही है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जारी प्रयासों में आने वाली जटिलताओं के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक सुझावों की चर्चा की गई है।

उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की आधारशिला होती है। कोई भी राष्ट्र वैश्वीकरण के इस स्पर्धात्मक युग में अपनी विशेष पहचान बनाना चाहता है तो उसे अपने देश के मानवीय संसाधन खासकर युवा वर्ग का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करना होगा। इस दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता के मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाओं की सुव्यवस्था, प्रसार, नियंत्रण, प्रशासन एवं मूल्यांकन की जबावदेही व ज़िम्मेदारी को सुनिश्चित करना होगा। उच्च शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति एवं समाज में उच्च स्तर की शैक्षणिक

* *सीनियर रिसर्च फ़ैलो,* शिक्षा विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड
** *प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड

उपलब्धियों का प्रवर्तन, कला, विज्ञान, संस्कृति, अध्यात्म का संपोषण तथा उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण उन्नयन किया जाता है, साथ ही गुणवत्तापरक, रोज़गारपरक एवं शोधपरक उच्च शिक्षा के द्वारा ही समाज में व्याप्त निर्धनता, बेरोज़गारी, भेद-भाव, अज्ञानता इत्यादि जैसी समस्याओं का उन्मूलन कर व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक एवं समाज को सुंदर बनाया जा सकता है। उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति के उपरांत युवाओं को आवश्यकता एवं माँग के अनुसार गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा के अवसर मुहैया कराना है जिससे कि युवा वर्ग के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके तथा साथ ही वे अपनी योग्यता, कौशल एवं सामर्थ्य के अनुसार स्वयं एवं राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में अहम् भूमिका निभा सकें। पिछले कुछ दशकों में जहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु समाज के भौतिक संसाधनों में वृद्धि करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ़ वर्तमान के बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु ज्ञान और सूचनाओं पर आधारित समाज हो गया है। आज वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए ज्ञान की महत्ता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण उच्च शिक्षण संस्थानों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इस बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में विश्व के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें एक मानक स्तर की क्षमता का विकास करना होगा। इसके लिए हमें उच्च शिक्षा को अधिक गुणवत्तापरक कसौटियों पर कसना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि वर्तमान समय में बाज़ार एवं समाज दोनों की माँगें निरंतर तेज़ी से बदल रही हैं। इनके संकेतों को समझकर हमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रशासन, नियंत्रण, पाठ्यक्रम एवं पढ़ने-पढ़ाने के तौर-तरीकों व इन संस्थानों में कार्यरत मानवीय संसाधन को अपनी कार्य-प्रणाली में ऐसा आमूल-चूल परिर्वतन लाना होगा, जिससे कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर बने इस प्रतियोगितापूर्ण माहौल में खुद को पुन: स्थापित कर सकें। अब ऐसा करना इसलिए और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि पिछले 2-3 दशकों से हमारी शिक्षा व्यवस्था निरंतर गुणवत्ता के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के साथ समझौता कर उद्देश्यहीनता के सागर में डुबकी लगा रही है। यही कारण है कि हमारे देश का एक भी उच्च शिक्षण संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों की सूची में अभी तक एक बार भी स्थान नहीं बनाया पाया है। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की इस दयनीय स्थिति को देखकर ही भूतपूर्व केंद्र सरकार ने 'फ़ोरेन एजुकेशन प्रोवाइडर बिल' लाने का फ़ैसला किया था, किंतु राजनीतिक विरोध तथा अन्य कारणों के चलते तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में यह बिल पास नहीं हो सका, परंतु अब जब से केंद्र में 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन' की सरकार अस्तित्व में आई है तब से पुन: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस बिल को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। अगर केंद्र सरकार इस बिल को संसद से पास कराने में कामयाब हो जाती है, तब देखना होगा कि देश

में स्थापित होने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा स्थापित होने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के सामने हमारे देश के विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान एक प्रतियोगी की तरह खड़े हो पाएँगे या फिर देश के सरकारी विद्यालयों की तरह अपने वजूद को खो बैठेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत में स्थापित होते भी हैं तो यह बात निश्चित है कि योग्य, क्षमतावान, कर्मठ एवं ईमानदार शिक्षक शायद ही देश के वर्तमान विश्वविद्यालयों में कार्यरत रहें। क्योंकि जहाँ एक ओर भारत में स्थापित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत योग्य, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं ज़िम्मेदार शिक्षकों को विशेष महत्त्व तथा सेवाएँ नहीं मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर अयोग्य, अकर्मण्य एवं कर्तव्यविमूढ़ शिक्षकों को दंडित करने का भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जिससे योग्य, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में घुटन महसूस करने लगे हैं। कई बार अकर्मण्य एवं कर्तव्यविमूढ़ व्यक्ति ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को अपनी श्रेणी में शामिल करने के लिए उनके मार्ग में कई बाधाएँ खड़ी करने लगते हैं या फिर उनकी अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी एवं संजीदगी का मखौल उड़ाने लगते हैं, जिससे क्षीण इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति अपने मूल्यों एवं सिद्धांतों से समझौता कर उनकी श्रेणी में शामिल हो जाता है।

ऐसी स्थिति में अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत में स्थापित होते हैं तो देश की आधी से अधिक आबादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समानता के अधिकार से वंचित हो जाएगी। जिसके पास पैसा होगा वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएगा जैसा कि आज देश के विद्यालयी शिक्षा स्तर पर हो रहा है जिससे सबसे बड़ा नुकसान देश के गरीब, पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों के लोगों को होने की आशंका है।

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति

उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों के मात्रात्मक विकास के बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी की वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट से प्राप्त आँकडों के अनुसार राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में कुल 34 शासकीय महाविद्यालय, 2 अशासकीय महाविद्यालय, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 राज्य विश्वविद्यालय तथा 2 डीम्ड विश्वविद्यालय संचालित थे। जबकि राज्य गठन के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 24 विश्वविद्यालय (वर्तमान में निजी सहित लगभग 29 विश्वविद्यालय), 389 महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों तक पहुँच गई। जिनमें प्रवेशार्थी लक्ष्य समूह 17-24 आयु वर्ग की जनसंख्या (1268478) के आधार पर प्रत्येक 1,125 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय उपलब्ध था। जबकि सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) 14.17 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय स्तर से कहीं अधिक था, किंतु 'ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन' रिपोर्ट (प्रोविजनल) 2014-15 के मुताबिक राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति निम्न प्रकार है –

सारणी 1

टाइपवाइज़ विश्वविद्यालयों की संख्या

केंद्रीय विश्वविद्यालय	राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान	राज्य पब्लिक विश्वविद्यालय	मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य/ निजी/ विश्वविद्यालय	शासकीय/ डीम्ड विश्वविद्यालय	शासकीय अनुदानित डीम्ड विश्वविद्यालय	डीम्ड निजी विश्वविद्यालय	कुल
1	3	8	1	8	1	1	1	24

(स्रोत- *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट* (प्रोविज़नल) 2014 –15)

सारणी 2

प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की संख्या (18-23 वर्ष) औसतन नामांकन प्रति महाविद्यालय

महाविद्यालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की संख्या	औसतन नामांकन प्रति महाविद्यालय
409	33	806

(स्रोत- *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट* (प्रोविज़नल) 2014 –15)

सारणी 3

विभिन्न स्तरों पर नामांकन संख्या

पी. एच. डी.			एम. फ़िल.			परास्नातक		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2164	793	2957	8	6	14	28620	32190	60810
स्नातक			**पीजी डिप्लोमा**			**डिप्लोमा**		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
158793	174719	333512	927	712	1639	20286	5811	26097
सर्टीफ़िकेट			**इंटीग्रेटिड**			**कुल योग**		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
91	79	170	1533	734	2267	212422	215044	427466

(स्रोत- *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट* (प्रोविज़नल) 2014 –15)

सारणी 4

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18-23 वर्ष)

सभी श्रेणी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
33.8	36.0	34.9	33.8	36.0	34.9	34.9	37.9	36.2

(स्रोत- *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट* (प्रोविज़नल) 2014 –15)

सारणी 5

उच्च शिक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात

सभी संस्थान		विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय		विश्वविद्यालय एवं संघटक इकाइयाँ	
नियमित एवं दूरस्थ माध्यम	नियमित माध्यम	नियमित एवं दूरस्थ माध्यम	नियमित माध्यम	नियमित एवं दूरस्थ माध्यम	नियमित माध्यम
28	26	30	28	35	25

(स्रोत- *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट* (प्रोविज़नल) 2014 –15)

राज्य गठन के बाद से आज तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि उल्लेखनीय सुधार हुए हैं जिसका अंदाज़ा उपरोक्त वर्णित आँकड़ों से लगाया जा सकता है परंतु यह भी सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में कथनी और करनी, प्रयास और परिणामों के बीच भारी अंतर भी देखने को मिलता है।

उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में बाधाएँ

1. राज्य का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय होने के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं का असमान वितरण है जिसके कारण लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पानी इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पहाड़ से मैदानी क्षेत्रों की तरफ़ पलायन करने से राजनीतिक दलों पर सामाजिक दबाव के अभाव के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा हो रही है।
2. शासकीय शिक्षण संस्थान जो पहाड़ी राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित हैं, गरीब, पिछड़े तथा वंचित वर्गों की शिक्षा, खासकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए एकमात्र विकल्प हैं। उपेक्षित होने के कारण भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के अभाव के कारण उच्च शिक्षा का मखौल उड़ा रहे हैं।
3. वर्ष 2014-15 से पूर्व स्थापित 70 शासकीय महाविद्यालयों में से 80 प्रतिशत अर्थात् 58 शासकीय महाविद्यालय, जो पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित 11 जनपदों में स्थापित हैं, में से

25 शासकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जो अपनी स्थापना से लेकर अभी तक अस्थायी भवनों में औसतन 3-5 कमरों में संचालित हैं। इनमें से कुछ महाविद्यालय ऐसे भी हैं जो एक-दो नियमित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ, इतने ही संविदा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भरोसे संचालित हैं।

4. एक तरफ़ इन शासकीय महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं; जैसे– प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, वाचनालय, कक्षा-कक्ष फ़र्नीचर, बिजली-पानी, शौचालय इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है, तो वहीं दूसरी तरफ़ मानवीय संसाधन के रूप में नियुक्त जो भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, वह भी अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा रहे हैं।
5. सुदूरवर्ती क्षेत्रों के इन महाविद्यालयों में वही व्यक्ति नौकरी करने को मजबूर हैं, जो या तो संविदा पर हैं या नवनियुक्त हैं या फिर राजनीतिक पहुँच वाले नहीं हैं।
6. ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी बहुत ही कम हैं जो पहाड़ के शिक्षण संस्थानों में स्वेच्छा से रहकर ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं।
7. एक तरफ़ जहाँ हम उच्च शिक्षण संस्थानों में भौतिक संसाधनों के अभावों का रोना रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ़ हमारे शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मानवीय संसाधन की कार्यप्रणाली संपूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाती है। हालाँकि कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी इस चरमारायी हुई शिक्षा व्यवस्था में निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण ज़िम्मेदारी के साथ पालन कर रहे हैं, किंतु उच्च शिक्षा व्यवस्था में कुछ निष्ठावान, ईमानदार एवं कर्मशील लोगों के प्रयास करने मात्र से कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

उच्च शिक्षा व्यवस्था के गुणवत्ताविहीन होने के विभिन्न कारणों में से कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं —

- नीतियों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में कड़ाई से पालन न होना।
- प्रशासन, नियंत्रण एवं वित्तीय बजट का अभाव।
- जबावदेही एवं पारदर्शिता में कमी।
- नीतिगत एवं योजनागत निर्णयों में व्यवहारिकता की जटिलता।
- सरकारी योजनाओं, आयोगों एवं समितियों की रिपोर्टों में व्यवहारिकता की जगह आदर्शवादिता को अधिक महत्त्व।
- उच्च शिक्षा से संबंधित नीतिगत योजनाओं के निर्माण में राज्य की वर्तमान स्थिति का आकलन किए बिना कुछ चुनिंदा लोगों के सुझावों एवं उनकी सोच को ध्यान में रखकर फैसले लेना।
- राजनीतिक हस्तक्षेप एवं भ्रष्टाचार।
- असमान एवं दोषपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया।
- उद्देश्यरहित उच्च शिक्षा।
- दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
- अप्रशिक्षित शिक्षक।
- ए.पी.आई. स्कोर की गणना के लिए स्पष्ट मापदंड का न होना।

- नियुक्ति के बाद शिक्षकों के मूल्यांकन का कोई प्रावधान न होना।
- शिक्षक के पढ़ने-पढ़ाने की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन का अभाव।
- दोषपूर्ण विद्यार्थी मूल्यांकन व्यवस्था।
- भौतिक वातावरण का अभाव।
- शिक्षण के माध्यम की समस्या।
- गुणात्मक अनुसंधान की जगह मात्रात्मक अनुसंधान में अप्रत्याशित वृद्धि।
- विषय विशेषज्ञों की कमी।
- विशेषीकृत शिक्षण संस्थानों की जगह सामान्य शिक्षण संस्थानों में अप्रत्याशित वृद्धि।
- सरकारी शिक्षण संस्थानों के समानांतर निजी शिक्षण संस्थानों का आगमन।
- शिक्षण संस्थानों की स्वायत्ता में लालफ़ीताशाही की दखलंदाज़ी।
- मानवीय, नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों में बदलाव।
- हिंदी माध्यम की अच्छी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव।
- दोषपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया।

वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने-पढ़ाने का माहौल खत्म-सा हो गया है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वह बहुत ही ईमानदारी, नैतिकता एवं आदर्शवाद की बातें करता है, किंतु ज्यों ही सरकारी सेवाएँ प्राप्त हुईं, त्यों ही वह व्यक्तिगत लाभ एवं उन्नति के लिए कार्य करने लगता है। आज उच्च शिक्षा में स्थिति यह हो गई है कि ए.पी.आई. स्कोर बनाने के चक्कर में शिक्षकों ने कक्षाओं में पढ़ाना बंद ही कर दिया है। जब से नियुक्ति प्रक्रिया एवं प्रोन्नति में ए.पी.आई. स्कोर की शुरुआत हुई है, तब से न जाने कितने शोध-पत्र प्रकाशित करने वाले केंद्र तथा संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन कराने वाली दुकाने खुल गई हैं, जो कि मोटी रकम लेकर गुणवत्ता को ध्यान में रखे बिना ही शोध-पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर बैठे संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के प्रमाण-पत्र भी मिल जाते हैं। यह तरीका उच्च शिक्षा में प्रोन्नति पाने तथा पैसा कमाने, दोनों ही मामलों में फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। केंद्र तथा राज्यों की उच्च शिक्षण संस्थाओं में इन खामियों के कारण ही आज स्थिति यह है कि 'टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स' 2014-15 व 2015-16 में शामिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों की सूची में देश का एक भी शिक्षण संस्थान स्थान नहीं बना पाया, यहाँ तक कि 'टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स' 2012, 2013 व 2014 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ दस शिक्षण संस्थानों की सूची में तथा 'टाइम्स हायर एजुकेशन ब्रिक्स एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ रैंकिंग्स' 2014 व 2015 में शामिल ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ 10 शिक्षण संस्थानों की सूची में भी भारत का एक भी शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। यही हमारे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धि एवं विकास का स्तर है जिसके दम पर ही हम विश्व की महाशक्ति बनने के सपने देखते रहते हैं। अगर हमें वास्तव

में ही विश्व की महाशक्ति बनने के सपनों को साकार करना है तो इस विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति को सही मायने में राष्ट्र के विकास एवं उन्नति में योगदान सुनिश्चित करने के लिए, देश की केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रशासनिक एवं नीतिगत स्तरों पर कड़े फैसले लेने होंगे। वर्तमान स्थिति में राजनीतिक नफ़ा-नुकसान के आकलन के आधार पर लिए जाने वाले फ़ैसलों की जगह समाज हित एवं राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा।

सुझाव

उच्च शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव अहम हो सकते हैं –

1. प्रो. यशपाल समिति (Renovation and Rejuvenation of Higher Education) की सिफ़ारिशों के आधार पर देश की समस्त नियामक संस्थाओं को समाप्त कर संपूर्ण देश के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
2. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसी सरीखी संस्थाओं के प्रमुखों के समान ही होनी चाहिए।
3. केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शिता बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।
4. कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ शैक्षणिक निष्पत्ति एवं नेतृत्व क्षमता के गुणों का आकलन किया जाना चाहिए।
5. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विदेश तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
6. शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कर्मचारियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रख, लक्ष्य-आधारित कार्य सुनिश्चित कर निष्पत्ति के आधार पर वेतन में कमी एवं वृद्धि का प्रावधान होना चाहिए।
7. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए निश्चित एकसमान योग्यता के मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
8. शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद वर्ष में एक बार इन-सर्विस प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केंद्रों के द्वारा किया जाना चाहिए।
9. अनुसंधान एवं विकास को अधिक गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से, नए अनुसंधान केंद्र तथा पहले से स्थापित अनुसंधान केंद्रों को अधिक साधनसंपन्न बनाकर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए।

10. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जहाँ शिक्षण प्रक्रिया के साथ-साथ अनुसंधान कार्य भी कराए जाते हैं, वहाँ वास्तविक अनुसंधान कार्य कराने के उद्देश्य से शिक्षण कार्य के लिए अलग तथा अनुसंधान कार्य के लिए अलग से शिक्षकों का प्रावधान किया जाना चाहिए।
11. केवल उन्हीं शिक्षकों को शिक्षण-कार्य की अनुमति दी जानी चाहिए, जो शिक्षण में अभिरुचि रखते हैं तथा वास्तव में उनके अंदर शिक्षण की अभियोग्यता एवं कौशल हैं।
12. अनुसंधान की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं शिक्षकों को दी जाए, जो वास्तव में अनुसंधान कराने में सक्षम हैं। केवल ए.पी.आई. स्कोर को बढ़ाने मात्र के लिए उन्हें अनुसंधान कराने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
13. शिक्षकों की नियुक्ति के समय उनकी रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता एवं उनकी वरीयता को ध्यान में रखकर, शिक्षण-कार्य तथा अनुसंधान-कार्य दोनों क्षेत्रों में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही, अलग-अलग समूहों में नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में न तो शिक्षण-कार्य सही से हो पा रहा है और न ही अनुसंधान-कार्य।
14. उच्च शिक्षा को अधिक व्यावहारिक एवं रोज़गार परक बनाने के उद्देश्य से, प्रवेश प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित मानक तय किए जाने चाहिए, जिससे कि उच्च शिक्षा वही व्यक्ति प्राप्त कर सके जो वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के काबिल है एवं विशेष रुचि रखता हो।
15. ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षकों की वृद्धि करनी चाहिए जो सामान्य शिक्षा से हटकर विशेषीकृत हों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नए रोज़गार के अवसर सृजित करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकें।
16. वर्तमान स्थापित उच्च शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर लक्ष्य एवं निष्पत्ति-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
17. सरकार को नए उच्च शिक्षण संस्थानों की घोषणा तथा शुरुआत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित शिक्षण संस्थान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सकती है अथवा नहीं।
18. क्योंकि राज्य में अभी भी कई ऐसे शासकीय महाविद्यालय हैं जिनकी स्थापना के लिए कई वर्ष गुज़र चुके हैं किंतु वर्तमान में भूमि का चयन न होने के कारण स्थापना के समय से ही सरकारी या किराये के भवनों में औसतन 3-4 कमरों में संचालित हैं।
19. उच्च शिक्षण संस्थानों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक भ्रष्टाचार निरोधक स्वतंत्र एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए।
20. केवल उन्हीं निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता जारी रखनी चाहिए जो स्थापित होने से 2 वर्ष के अंदर उच्च शिक्षा के सभी मानकों को पूरा करने में सफ़ल हुए हों।
21. ऐसे निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए जो मानकों एवं प्रवेश

प्रक्रिया के नियमों से समझौता कर, कम मैरिट वाले छात्रों को पैसा लेकर प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करते हों।

22. उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शीता बनाने की नितांत आवश्यकता है जिससे कि उन्हीं शिक्षण संस्थानों की वित्तीय सहायता एवं मान्यता जारी रखी जा सके जो वास्तव में इनके योग्य हैं।

जब शिक्षा व्यवस्था में संलग्न शिक्षण संस्थाएँ अपने वास्तविक मूल उद्देश्य को पूर्ण करने में असफ़ल साबित होती जा रही हों, तब समाज के शिक्षित एवं सुशिक्षित वर्ग का दायित्व भी बढ़ जाता है और राष्ट्र के निर्माता, मार्गदर्शक एवं स्वस्थ परंपराओं के नियामक शिक्षक को और अधिक सावधान होने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति में वैसे पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता और बढ़ जाती है, जो व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता, उच्च मानवीय व सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ देश की संस्कृति को बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दे सकें, साथ ही हमारी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को सँजोए रखने वाली विषय-वस्तु का भी पाठ्यक्रम में समावेश करना आवश्यक होगा। अब तक हमने पिछले 68 वर्ष, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को जारी रखकर व्यर्थ ही गँवा दिए। अत: अब हमें हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता महसूस होने लगी है। जिससे देश के प्रत्येक भू-भाग पर निवास करने वाला व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता, योग्यता एवं कौशलों का प्रदर्शन कर राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तभी हम वास्तव में विश्व की महाशक्ति बनने का सपना साकार कर सकते हैं।

संदर्भ

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, रिपोर्ट (प्रोविज़नल). 2014-15.

उच्च शिक्षा निदेशालय. 2013. *वार्षिक रिपोर्ट — 2012-13.* हल्द्वानी.

जसवाल, राजेश कुमार. 2014. देश में उच्च शिक्षा का मात्रात्मक, गुणात्मक विकास एवं निजीकरण. *भारतीय आधुनिक शिक्षा.* अप्रैल. पृ. 102-108.

पांडेय, कल्पलता. 2002. भारत में उच्च शिक्षा-निजी क्षेत्र की भूमिका. *भारतीय आधुनिक शिक्षा.* जुलाई. पृ. 41-47.

यादव, अशोक कुमार. 2010. फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी बिल बेनीफ़िट इंडिया. द *ट्रिब्यून*. चंडीगढ़. फरवरी 07.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. 2014. *वार्षिक रिपोर्ट — 2013-14.*

सेठी, मोनिका. 2015. क्वालिटी हायर एजुकेशन – क्राइटेरिया, बेंचमार्क एंड प्रोसेसिज़. यूनिवर्सिटी न्यूज़. जून. 2001-07.

http: //directorateheuk.org/

http://mhrd.gov.in/

http://mhrd.gov.in/documents_reports

mhrd.gov.in>rusa

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/page/0/length/25
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/regional-ranking#!/page/0/length/25
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/brics-and-emerging-economies#!/page/0/length/25
http://aishe.nic.in/aishe/viewDocument.action?documentId=201